

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 24.09.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 227/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3) /340(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त सरोज कुमार पुत्र इंद्रदेव शाह उम्र करीब 31 वर्ष निवासी बलुआकोल थाना हवेली खड़गपुर जनपद मुंगेर (बिहार) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 525/2020 धारा 323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अच्छन पुत्र शहीद निवासी सिन्धी भट्टा रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 28 वर्ष (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 318/2026 धारा 296 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त वसीम पुत्र गुलशेर खां निवासी ग्राम अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. सुरेश पुत्र गंगा सागर निवासी वार्ड नं0 4 नयागंज कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 32 वर्ष 2. राजीव सिंह पुत्र अशोक गिहार 3. सन्तोष कुमार पुत्र मोहन गिहार 4. आजाद पुत्र केवल सिंह उम्र 36 वर्ष 5. आनन्द उर्फ गौरव गिहार पुत्र स्व0 शिवराम निवासीगण वार्ड नं0 11 गांधीनगर कस्बा व थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष 6. छोटेलाल पुत्र स्व0 मुन्ना राईन उम्र करीब 40 वर्ष 7. मीनू पुत्र मुन्ना राईन निवासीगण वार्ड नं0 15 अयोध्या नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष के द्वारा रुपयों की हार-जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-392/2026 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।